समाहरणालय, किशनगंज

(जिला राजस्व प्रशाखा)

–:: अल्पकालीन आम सूचना ::–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2019–20 के लिए किशनगंज जिला अन्तर्गत अक्टूबर श्रेणी के निम्नलिखित राजस्व मेला सैरातों की बन्दोबस्ती दिनांक–03.12.2019 को 3.00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में डाक की जायगी। निर्धारित तिथि को बन्दोबस्त नहीं होने की स्थिति में पुनः निम्न सैरात के नाम के सामने अंकित तिथि को बन्दोबस्ती की जायेगी :–

क्र0	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	अंचल का नाम	डाक की निर्धारित तिथि		
				प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	2	3	4	5	6	
01	खगड़ा मेला सैरात	4842650.00	किशनगंज	03.12.2019	05.12.2019	07.12.2019

डाक की शर्ते निम्न प्रकार है :-

- डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत राशि डाक में भाग लेने के पूर्व प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना होगा।
- पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आचरण प्रमाण–पत्र (अद्यतन) डाक के पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा डाक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को जिला/अनुमंडल/अंचल/संबंधित नगर निकायों से बकाया रहित प्रमाण–पत्र एवं अंचल अधिकारी से आय प्रमाण–पत्र/ निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में जमा करना होगा।
- बन्दोवस्तदार को जी0एस0टी0 निबंधन अनिवार्य होगा।
- किसी भी मेला लेसी या संकलन अभिकर्त्ता के पास राशि बकाया रहने पर उन्हें डाक में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही उनके निकट संबंधी भाई, भतीजा, पुत्र/पुत्री को भी डाक में भाग नहीं लेने दिया जायगा। उपरोक्त मेला सैरातों की बन्दोवस्ती वर्त्तमान में मेला की जितनी जमीन है, जैसी है, उसी स्थिति के लिए की जायगी और ग्राउण्ड रेन्ट की वसूली उतनी जगह के अन्दर ही की जायगी।
- मेला सैरात की जमीन को सभी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा साफ–सफाई एवं पेयजल की सारी व्यवस्था मेला लेसी को ही अपने व्यय पर करना होगा और मेला में किसी राजनीति सभा नहीं की जायगी।
- सैरात की जमीन पर किसी प्रकार के स्थायी संरचना का निमार्ण नहीं किया जायेगा। इसे सुनिश्चित करना लेसी की जिम्मेवारी होगी।
- ग्राउण्ड रेन्ट की वसूली निर्धारित दर पर ही करनी होगी तथा प्रत्येक वसूली स्वयं द्वारा छपाई गई बट्टी रसीद उन्हें निर्गत करनी होगी जिसका व्यय वे स्वयं वहन करेंगे। ग्राउण्ड रेन्ट बोर्ड तालिका या अन्य सूचना चापाकल, हाई ग्रेड वृक्षों की सुरक्षा मेला लेसी को ही करनी होगी।
- बाढ़ सुखा एवं अन्य प्राकृतिक विपदाओं पर मेला नहीं लगने पर बन्दोबस्ती की राशि में किसी प्रकार का छूट अनुमान्य नहीं होगा।

☞ किसी भी हालत में किसी भी सम्प्रदाय द्वारा मेला परिसर में अस्थाई/ स्थाई कोई भी धार्मिक या मजहबी निर्माण नहीं होने दिया जायगा। इसकी जवाबदेही मेला ठेकेदार/बन्दोबस्तदार की होगी।

☞ संक्रमक रोग या महामारी की स्थिति में मेला लेसी की विशेष जवाबदेही होगी कि वे मेला परिसर में सड़ी गली वस्तुओं की खरीद बिक्री नहीं होने दे। साफ–सफाई की विशेष व्यवस्था करेंगे। इस क्रम में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।

☞ अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए बन्दोबस्ती अस्वीकृत/ रद्द करने अथवा विभागीय प्रबंध करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।

☞ डाक समाप्ति के पश्चात् सफल डाक वक्ता को नियमानुसार उच्चतम डाक की राशि एवं निर्धारित मुद्रांक शुल्क/ निबंधन शुल्क (बन्दोवस्त राशि का 2% निबंधन शुल्क एवं 6% स्टाम्प शुल्क) डाक समाप्ति के तुरंत बाद जमा करना होगा, अन्यथा अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी।

☞ मेला सैरात बन्दोवस्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी किशनगंज जिला के वेबसाईट kishanganj.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

16/11/14

स मा ह र्त्ता,
किशनगंज।